रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-27012026-269594
CG-DL-W-27012026-269594

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 2] नई दिल्ली, जनवरी 18—जनवरी 24, 2026, शनिवार/पौष 28—माघ 4, 1947
No. 2] NEW DELHI, JANUARY 18—JANUARY 24, 2026, SATURDAY/ PAUSHA 28—MAGHA 4, 1947

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India (Other than the Ministry of Defence)

गृह मंत्रालय
(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2026

सा.का.नि. 5.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय एवं राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जनगणना कार्य निदेशालय के कार्यालयों, कार्यकारी अधिकारी (जनगणना), समूह "क" पद, भर्ती नियम, 2022, को उन बातों के सिवाय, अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय में कार्यकारी अधिकारी (जनगणना) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जनगणना कार्य निदेशालय के कार्यालय, कार्यकारी अधिकारी (जनगणना), समूह "क" पद, भर्ती नियम, 2026 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर वह होगा जो इन नियमों के साथ उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं तथा उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता- वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित है; विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है, और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
कार्यकारी अधिकारी (जनगणना)	60*(2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मेट्रिक्स में स्तर -11 (रु.67700-208700)	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी
(6)	(7)	(8)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(9)	(10)	(11)
लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति द्वारा	केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधीन ऐसे अधिकारी,- (क) (i) जिन्होंने मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर

		सदृश पद धारण किए हुए है; या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स (रुपये 56100 – 177500) में स्तर -10 या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष की सेवा की है; या (iii) जिन्होंने मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स (रुपये 53100-168700) में स्तर -9 या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात सात वर्ष की सेवा की है; या (iv) जिन्होंने मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स (रुपये 47600 – 151100) में स्तर -8 या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात आठ वर्ष की सेवा की है; और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यताएं और अनुभव रखते हों, अर्थात्: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री के साथ किसी भी सरकारी संगठन से जनगणना या सर्वेक्षण गतिविधियों के समन्वय या कार्यान्वयन, या डेटा के संकलन, विश्लेषण और रिपोर्ट लेखन, या स्कीमों या कार्यक्रमों के निर्माण या कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन या प्रशिक्षण या अन्य संगठनों के साथ संपर्क और समन्वय कार्य या प्रशासन या स्थापना या वित्तीय मामलों में पांच वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1 -** प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी अथवा अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, सामान्यत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2 -** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को छप्पन (56) वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
लागू नहीं	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-51011/1/2019-प्रशा.V]

एस.एन. शर्मा, निदेशक

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Office of the Registrar General, India)

New Delhi, the 16th January, 2026

G.S.R. 5.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the office of the Registrar General, India, and the offices of the Directors of Census Operations in the States and the Union territories, Executive Officer (Census), Group ‘A’ post, Recruitment Rules, 2022, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Executive Officer (Census) in the Office of the Registrar General, India under the Ministry of Home Affairs, namely:

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Office of the Registrar General, India, and the Offices of the Director of Census Operations in the States and the Union territories, Executive Officer (Census) Group 'A' Post, Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in the pay matrix.- The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, educational qualifications, etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.-No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. -Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	**Number of post**	**Classification**	**Level in the pay matrix**	**Whether selection post or non-selection post**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
Executive Officer (Census)	60* (2026) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Level-11 in the pay matrix (Rs.67700-208700)	Not applicable

Age-limits for direct recruits	**Educational and other qualifications required for direct recruits**	**Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees**
(6)	**(7)**	**(8)**
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Period of probation, if any	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods**	**In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grades from which promotion or deputation/ absorption to be made**
(9)	**(10)**	**(11)**
Not applicable.	By deputation.	Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administrations;- (a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-10 in the pay matrix (Rs.56100-

		177500) or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with seven years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-9 in the pay matrix (Rs.53100-168700) or equivalent in the parent cadre or department; or (iv) with eight years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-8 in the pay matrix (Rs. 47600-151100) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:- (i) Bachelor's degree from a recognised University or institute with five years' experience in co-ordination or implementation of Census or survey activities or compilation, analysis of data and report writing or formulation or implementation of schemes or programmes, monitoring and evaluation or training or liaison and coordination work with other organisations or administration or Establishment or financial matters from any government organisation. **Note 1:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post, held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 2:** The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment**
(12)	**(13)**
Not applicable.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary

[F. No. A-51011/1/2019-Ad-V]

S. N. SHARMA, Director

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2026

सा.का.नि. 6.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय एवं राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जनगणना कार्य निदेशालय के कार्यालयों, (वरिष्ठ भूगोलवेत्ता) भर्ती नियम, 2011 और भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय एवं राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जनगणना कार्य निदेशालय के कार्यालयों, भूगोलवेत्ता/नक्शानवीस समूह "ख" पद भर्ती नियम, 2011, को उन बातों के सिवाय, अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जनगणना कार्य निदेशालय के कार्यालयों में सहायक अनुसंधान अधिकारी (मानचित्र) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय एवं राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जनगणना कार्य निदेशालय के कार्यालय, सहायक अनुसंधान अधिकारी (मानचित्र), समूह "ख" पद, भर्ती नियम, 2026 है ।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर वह होगा जो इन नियमों के साथ उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं तथा उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.-** वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित है; विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है, और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.-** इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सहायक अनुसंधान अधिकारी (मानचित्र)	48*(2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मेट्रिक्स में स्तर-7 (रु.44900-142400)	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी
(6)	(7)	(8)
30 वर्ष से अधिक नहीं **टिप्पण 1.-** केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2.-** आयु-सीमा अवधारित करने	अनिवार्य: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से भूगोल या अनुप्रयुक्त भूगोल या भूसूचना या सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग) और भौगोलिक सूचना प्रणाली में स्नातकोत्तर की उपाधि। (ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त	नहीं

के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए ।	अनुसंधान संस्थानों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या सांविधिक निकायों या स्वायत्त संगठनों से भूगोल या नक्शानवीसी के क्षेत्र में भौगोलिक सूचना प्रणाली या सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग) में दो वर्ष का कार्य या अनुसंधान या शिक्षण अनुभव। **टिप्पण 1.-** लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के आलोक में, भिन्न प्रकार से सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में, संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर योग्यता में छूट दी जा सकती है। **टिप्पण 2.-** अनुभव संबंधी अर्हताएं, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के आलोक में, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यार्थियों की दशा में, तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी भी प्रक्रम पर, संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यार्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति आमेलन द्वारा /तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता**	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।**
(9)	**(10)**	**(11)**
सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। **टिप्पण.-** परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए सीधी भर्ती द्वारा लिए जाने वाले व्यक्तियों के लिए भारत के महारजिस्ट्रार की कार्यालय द्वारा आयोजित प्रासंगिक क्षेत्र में चार सप्ताह का प्रवेश प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।	शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। **टिप्पण.-** पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश पर या अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए अनुपस्थित रहने के कारण होने वाली रिक्तियों को केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकता है,- (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (रु. 35400–112400) पदों पर नियमित आधार पर पांच वर्ष की सेवा की है; और (ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों	लागू नहीं

	के लिए विहित शैक्षिक योग्यताएं और अनुभव रखते हों;	

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	**भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(12)	**(13)**
समूह 'क' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के संबंध में) जिसमें शामिल हैं: (1). भारत के महारजिस्ट्रार - अध्यक्ष; (2). अपर महारजिस्ट्रार, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय या उप महारजिस्ट्रार (मानचित्र), भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय -सदस्य; (3). उप सचिव (प्रशासन), भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय या सहायक महारजिस्ट्रार (मानचित्र), भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय -सदस्य;	सीधी भर्ती पर नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

[फा. सं. ए-51011/1/2024-प्रशा.V]

एस.एन. शर्मा, निदेशक

New Delhi, the 16th January, 2026

G.S.R. 6.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Office of the Registrar General, India, and Offices of the Directors of Census Operations in States and Union Territories, (Senior Geographer) Recruitment Rules, 2011 and Office of the Registrar General, India, and the offices of the Directorates of Census Operations in the States and the Union territories, Geographer/Cartographer Group 'B' post Recruitment Rules, 2011, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Research Officer (Map) in the Office of the Registrar General, India and the offices of the Directors of Census Operation in States and Union territories under the Ministry of Home Affairs, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Office of the Registrar General, India, and the Offices of the Directors of Census Operation in States and Union territories, Assistant Research Officer (Map), Group 'B' post, Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in pay matrix.- The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.-The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.- No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.-Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.-Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	**Number of posts**	**Classification**	**Level in pay matrix**	**Whether selection post or non-selection post**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
Assistant Research Officer (Map).	48* (2026). * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group ‘B’, Gazetted, Non-Ministerial.	Level-7 in the pay matrix (Rs.44900-142400).	Not applicable.

Age-limit for direct recruits	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees**
(6)	**(7)**	**(8)**
Not exceeding thirty years of age. **Note 1.-** Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note 2.-** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.	Essential: (i) Master’s degree in Geography or Applied Geography or Geoinformatics or Remote Sensing and Geographic Information System from a recognised university or institution; (ii) Two years’ work or research or teaching experience in Geographic Information System or Remote Sensing in the field of Geography or Cartography from Central Government or State Governments or Union territories or universities or recognized research institutions or public sector undertakings or statutory or autonomous bodies. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	No.

Period of probation, if any	**Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods**	**In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made**
(9)	**(10)**	**(11)**
Two years for direct recruits. Note.- The direct recruits	Hundred percent by direct recruitment. Note.- Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other	Not applicable

shall successfully complete mandatory induction training of four weeks in the relevant field organised by Office of the Registrar General India, which is pre-requisite for completion of probation.	circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government,- (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) With 5 years regular service in posts in level 6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruitment under column (7).	

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment**
(12)	**(13)**
Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: (1). Registrar General, India - Chairman; (2). Additional Registrar General, Office of the Registrar General, India or Deputy Registrar General (Map), Office of the Registrar General, India - Member; (3). Deputy Secretary (Administration), Office of the Registrar General, India or Assistant Registrar General (Map), Office of the Registrar General, India -Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary for appointment on direct recruitment.

[F. No. A51011/1/2024-Ad.V]

S. N. SHARMA, Director

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना प्रभाग)

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2026

सा.का.नि. 7.— राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना संगठन, पर चिकित्सा और साधारण श्रेणी (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 2015 को जहां तक उनका संबंध प्रयोगशाला तकनीशियन के पद से उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद् (मेडिकल लेबोरेट्री टैक्नोलॉजिस्ट) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् –

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना संगठन, चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद् (समूह "ख" पद) भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रभावी होंगे।

2. पद- संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता- कोई भी व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है।

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, आदेश द्वारा और उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति. इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए अपेक्षित होंगे।

अनुसूची

पद का नाम	**पद की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन पद अथवा गैर चयन**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद्	184* (2026) 1. केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, अहमदाबाद-8; 2. केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, बेंगलुरू- 5; 3. केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, भोपाल-1; 4. केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, भुवनेश्वर- 3; 5. केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, चंडीगढ़-3; 6. केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, चेन्नई-10;	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रू)।	चयन	तीस वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पाँच वर्ष तक की छूट) **टिप्पण-** आयु सीमा की अवधारित अंतिम तारीख कर्मचारी आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

	7. केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली-60; 8. केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, गुवाहाटी-4; 9. केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, हैदराबाद-14; 10. केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, जबलपुर- 3; 11. केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, जयपुर-11; 12. केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, कानपुर-5; 13. केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, कोलकाता- 8; 14. केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, लखनऊ-11; 15. केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, मेरठ-3; 16. केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, मुंबई-14; 17. केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना,				

	नागपुर-3; 18. केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना,पटना-6; 19. केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, पुणे- 7; 20. केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, प्रयागराज-3 और 21. केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, रांची-2; *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।				

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	**सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति, सीधे होगी भर्ती या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।**
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
अनिवार्य **अर्हताएं:** (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय (ii) या संस्थान द्वारा चिकित्सा प्रयोगशाला विज्ञान में स्नातक डिग्री। (iii) चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौघौगिकीविद्	लागू नहीं होता	दो वर्ष टिप्पणः परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा यथा विहित प्रोन्नत अथवा सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए कम से	(i) सीधी भर्ती द्वारा 90 प्रतिशत; और (ii) 10 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा	**प्रोन्नति :** वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300 रुपये) में ऐसे कनिष्ठ चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद्, जिन्होंने ग्रेड में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो और विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट दो सप्ताह का आज्ञापक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पणी:** प्रोन्नति जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में,

के रूप में अथवा मान्यता प्राप्त अस्पताल और संस्थान से दो वर्ष का अनुभव **टिप्पण 1.** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्माचारी चयन आयोग, सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पणी 2.** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर केंद्रीय सरकार संघ लोक सेवा आयोग/ कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।		कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण होगा।		जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हों, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह जब तब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हों, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि की पदोन्नति सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति:** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के ऐसे अधिकारी, - (क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हों; या (ii) जिन्होंने मूल कैडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर -5 (29200-92300 रुपये) या समतुल्य में नियमित आधार पर पदों पर नियुक्ति के पश्चात् छह वर्ष की सेवा की हो; और (ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हों। **टिप्पणी 1.** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी

				पंक्ति (Direct Line of Promotion) में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पणी 2.** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, साधारणतयाः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पणी 3.** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना।	भर्ती करने संबंधी किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. अपर निदेशक, संबंधित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना शहर या अपर निदेशक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (मुख्यालय) - अध्यक्ष; 2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, संबंधित केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना शहर सदस्य; 3. संबंधित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना शहर के प्रशासनिक अधिकारी, स्थापना या संबंधित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना शहर के अपर निदेशक द्वारा नामित संबंधित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना शहर का समूह 'ए' अधिकारी - सदस्य।	**संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की आवश्यकता नहीं है।**

समूह 'ख' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगेः- 1. अपर निदेशक, संबंधित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना शहर अथवा अपर निदेशक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (मुख्यालय) - अध्यक्ष; 2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, संबंधित केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना शहर सदस्य; 3. संबंधित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना शहर के प्रशासनिक अधिकारी, स्थापना या संबंधित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना शहर के समूह 'ए' अधिकारी, जैसा कि संबंधित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना शहर के अपर निदेशक द्वारा नामित किया गया हो, सदस्य।	

[फा. सं. A.12018/04/2023-CGHS-I]

गणेश कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Central Government Health Scheme Division)

New Delhi, the 12th January, 2026

G.S.R. 7.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Health and Family Welfare, Central Government Health Scheme, Paramedical and general categories (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 2015, in so far as they relate to the post of Laboratory Technician, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Medical Laboratory Technologist in the Central Government Health Scheme, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. Short title and commencement – (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Government Health Scheme Organisation, Medical Laboratory Technologist (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix. - The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. – No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to the recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings. – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Medical Laboratory Technologist.	184* (2026) 1. Central Government Health Scheme, Ahmedabad - 8; 2. Central Government Health Scheme, Bengaluru – 5; 3. Central Government Health Scheme, Bhopal – 1; 4. Central Government Health Scheme, Bhubaneswar – 3; 5. Central Government Health Scheme, Chandigarh – 3; 6. Central Government Health Scheme, Chennai – 10; 7. Central Government Health Scheme, Delhi – 60; 8. Central Government Health Scheme, Guwahati – 4; 9. Central Government Health Scheme, Hyderabad – 14; 10. Central Government Health Scheme, Jabalpur – 3; 11. Central Government Health Scheme, Jaipur – 11; 12. Central Government Health Scheme, Kanpur – 5; 13. Central Government Health Scheme, Kolkata – 8; 14. Central Government Health Scheme, Lucknow – 11; 15. Central Government Health Scheme, Meerut – 3; 16. Central Government Health Scheme, Mumbai – 14; 17. Central Government Health Scheme, Nagpur – 3; 18. Central Government Health Scheme, Patna – 6; 19. Central Government Health Scheme, Pune – 7; 20. Central Government Health Scheme, Prayagraj – 3; and 21. Central Government Health Scheme, Ranchi – 2. *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400).	Selection.	Not exceeding thirty years of age. (Relaxable for the Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issues by the Central Government.) **Note. –** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Essential qualifications: (i) Bachelor's degree in	Not applicable.	Two years. **Note. -**	(i) Ninety percent. by direct recruitment; and (ii) ten percent. by promotion, failing	**Promotion:** Junior Medical Laboratory Technologist in level-5 in the pay matrix

Medical Laboratory Science from a recognised University or institute; and (ii) two years' experience as Medical Laboratory Technologist or Laboratory Technologist from a recognised hospital or institute. **Note 1.** - The qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2.** - The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Schedules Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.		There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration, for promotees and direct recruits, for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	which by deputation.	(Rs.29200-92300) with six years regular service in the grade and have successfully completed mandatory training of two weeks as specified by the Department. **Note.** – Where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility services, or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors, who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:** officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration, - (a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years' service rendered after appointment to the posts on a regular basis in level-5 in the pay matrix (Rs.29200-92300) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruitment under column (7). **Note 1.** – The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2.** – The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3.** – The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Additional Director, concerned Central Government Health Scheme city or Additional Director Central Government Health Scheme (Headquarter) – Chairperson; 2. Chief Medical Officer, concerned Central Government Health Scheme city - Member; 3. Administrative Officer, Establishment concerned Central Government Health Scheme city or a Group 'A' officer of concerned Central Government Health Scheme city as nominated by Additional Director of concerned Central Government Health Scheme city –Member. Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Additional Director, concerned Central Government Health Scheme city or Additional Director Central Government Health Scheme (Headquarter) – Chairperson; 2. Chief Medical Officer, concerned Central Government Health Scheme city - Member ; 3. Administrative Officer, Establishment concerned Central Government Health Scheme city or a Group 'A' officer of concerned Central Government Health Scheme city as nominated by Additional Director of concerned Central Government Health Scheme city –Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A.12018/04/2023-CGHS-I]

GANESH KUMAR, Under Secy.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

(भंडारण और अनुसंधान प्रभाग)

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2026

सा.का.नि. 8.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (समूह 'क' और समूह 'ख' अननुसचिव पद) भर्ती नियम, 2014 को, जहां तक उनका संबंध उपायुक्त (भंडारण और अनुसंधान)/निदेशक, आईजीएमआरआई, के पद है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भंडारण और अनुसंधान प्रभाग में उपायुक्त (भंडारण और अनुसंधान)/निदेशक, भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. –** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भंडारण और अनुसंधान प्रभाग, उपायुक्त (भंडारण और अनुसंधान)/निदेशक, समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर. –** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि. – उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता. – वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति. – जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति. – इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पद की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद या अचयन पद।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
उपायुक्त (भंडारण और अनुसंधान)/ निदेशक।	2* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78800-209200 रूपये)।	चयन पद।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(6)	(7)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(10)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।

(11)

प्रोन्नतिः

वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (67700-208700 रुपये) में ऐसे उप निदेशक (भंडारण और अनुसंधान), जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और केंद्रीय अनाज विश्लेषण प्रयोगशाला में प्रोन्नति से पहले खरीद, भंडारण और वितरण के दौरान खाद्यान्न की क्वालिटी पहलुओं पर दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।

टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या स्वशासी निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कानूनी संगठनों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों जो मूल काडर या विभाग में ऐसे अधिकारी –

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (67700-208700 रुपये) या समतुल्य में उस पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो; और

(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों:-

आवश्यकः (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कीट विज्ञान या पादप विकृति विज्ञान या जैव रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री; या

(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कीट विज्ञान या पादप विकृति विज्ञान या जैव रसायन विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ कृषि में स्नातकोत्तर डिग्री; या

(iii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कीट विज्ञान या पादप विकृति विज्ञान में विशेषतता के साथ प्राणि विज्ञान या वनस्पति- विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री; और

(iv) सरकारी संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या संस्थानों में खाद्यान्नों के संरक्षण और भंडारण से संबंधित पहलुओं सहित शिक्षण या अनुसंधान या विस्तार कार्य में दस वर्ष का अनुभव।

वांछनीय: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से प्राणी विज्ञान या वनस्पति विज्ञान या जैव रसायन विज्ञान या कृषि में पीएचडी।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना
(12)
समूह ‘क’ विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष; 2. संयुक्त सचिव – भंडारण और अनुसंधान प्रशासन के प्रभारी – सदस्य; 3. संयुक्त सचिव – भारतीय खाद्य निगम के प्रभारी – सदस्य; 4. भंडारण और अनुसंधान प्रभाग के प्रमुख, संयुक्त आयुक्त (भंडारण और अनुसंधान) – सदस्य। समूह 'क' विभागीय समिति (प्रतिनियुक्ति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. सचिव – (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) – अध्यक्ष; 2. संयुक्त सचिव – भंडारण और अनुसंधान प्रशासन के प्रभारी – सदस्य; 3. संयुक्त सचिव – भारतीय खाद्य निगम के प्रभारी – सदस्य; 4. भंडारण और अनुसंधान प्रभाग के प्रमुख, संयुक्त आयुक्त (भंडारण और अनुसंधान) – सदस्य।

भर्ती करने में किन परिस्थितियो में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(13)
संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-12018/05/2024-एसआरए/ई.III (ई:387015)]

प्रदीप कुमार चौधरी, अवर सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

(STORAGE AND RESEARCH DIVISION)

New Delhi, the 9th January, 2026

G.S.R. 8.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Food and Public Distribution (Group 'A' and Group ‘B’, Non-Secretariat Posts) Recruitment Rules, 2014, in so far as it relates to the post of Deputy Commissioner (Storage and Research)/Director, IGMRI, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules to regulate the method of recruitment to the post of Deputy Commissioner (Storage and Research)/Director, Indian Grain Storage Management and Research Institute in the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Food and Public Distribution, Storage and Research Division, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Food and Public Distribution, Storage and Research Division, Deputy Commissioner (Storage and Research)/Director, Group ‘A’ Post, Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix. –** The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. –** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification. –** No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax. –** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving. –** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other backward classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	**Number of post**	**Classification**	**Level in pay matrix**	**Whether selection post or non-selection post**	**Age-limit for direct recruits**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
Deputy Commissioner (Storage and Research)/Director.	2* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-12 in the pay matrix (Rs.78800-209200).	Selection post.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees**	**Period of probation, if any**	**Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods**
(7)	**(8)**	**(9)**	**(10)**
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion, failing which by deputation (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made
(11)
Promotion: Deputy Director (Storage and Research) in pay level-11 in the pay matrix (Rs.67700-208700) with five years regular service in the grade and having successfully completed two to four weeks training on quality aspects of foodgrains during procurement, storage and distribution before promotion at the Central Grain Analysis Laboratory.

Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors, who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Governments or Union Territories or Autonomous Bodies or Public Sector Undertaking or Statutory Organisations or recognised Universities:
(a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department; or
(ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-11 (Rs.67700-208700) in the pay matrix or equivalent in parent cadre or Department; and

(b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:-
Essential: (i) Master's degree in Entomology or Plant Pathology or Bio-Chemistry from a recognised University or Institute; or
(ii) Master's degree in Agriculture with specialization in Entomology or Plant Pathology or Bio-Chemistry from a recognised University or Institute; or
(iii) Master's degree in Zoology or Botany with specialization in Entomology or Plant Pathology from a recognised University or Institute; and
(iv) ten years experience in teaching or research or extension work including aspects related to storage and preservation of foodgrains in Government Organisations or public sector undertakings or Universities or recognised Institutes.

Desirable: Ph.D. in Zoology or Botany or Bio-Chemistry or Agriculture from a recognised University or Institute.

Note 1: The period of deputation including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding fifty-six years, as on the last date of the receipt of applications.

Note 2: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.

(12)

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-

1.	Chairman or Member, Union Public Service Commission	– Chairperson;
2.	Joint Secretary-In-charge of Storage and Research Administration	– Member;
3.	Joint Secretary-In-charge of Food Corporation of India	– Member;
4.	Head of Storage and Research Division, Joint Commissioner (Storage and Research)	– Member.

Group 'A' Departmental Committee (for considering deputation) consisting of:-

1.	Secretary (Department of Food and Public Distribution)	– Chairperson;
2.	Joint Secretary- In-charge of Storage and Research Administration	– Member;
3.	Joint Secretary- In-charge of Food Corporation of India	– Member;
4.	Head of Storage and Research Division – Joint Commissioner (Storage and Research)	– Member.

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.

(13)

Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A-12018/05/2024-SRA/E.III (e: 387015)]

PRADEEP KUMAR CHOUDHARY, Under Secy.

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2026

सा.का.नि. 9.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (समूह 'क' और समूह 'ख' अननुसचिव पद) भर्ती नियम, 2014 को, जहां तक उनका संबंध संयुक्त आयुक्त (भंडारण और अनुसंधान) के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भंडारण और अनुसंधान प्रभाग में संयुक्त आयुक्त (भंडारण और अनुसंधान) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. –** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भंडारण और अनुसंधान प्रभाग, संयुक्त आयुक्त (भंडारण और अनुसंधान), समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर. –** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि. –** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता. –** वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति. –** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति. –** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पद की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद या अचयन पद।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
संयुक्त आयुक्त (भंडारण और अनुसंधान)।	1* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13 (123100-215900 रूपये)।	चयन पद।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(6)	(7)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(10)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(11)
प्रोन्नतिः वेतर स्तर 12 (78800-209200 रुपये) में ऐसे उपायुक्त (भंडारण और अनुसंधान) और निदेशक भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान, जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की है और केंद्रीय अनाज विश्लेषण प्रयोगशाला में प्रोन्नति से पहले खरीद, भंडारण और वितरण के दौरान खाद्यान्न की क्वालिटी पहलुओं पर दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या स्वशासी निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कानूनी संगठनों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के ऐसे अधिकारी – (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 (78800-209200 रुपये) या समतुल्य में उस पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों:- **आवश्यकः** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कीट विज्ञान या पादप विकृति विज्ञान या जैव रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कीट विज्ञान या पादप विकृति विज्ञान या जैव रसायन विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ कृषि में स्नातकोत्तर डिग्री; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कीट विज्ञान या पादप विकृति विज्ञान में विशेषतता के साथ प्राणि विज्ञान या वनस्पति- विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री; और (ii) सरकारी संगठनों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या संस्थानों में खाद्यान्नों के संरक्षण और भंडारण से संबंधित पहलुओं सहित शिक्षण या अनुसंधान या विस्तार कार्य में बारह वर्ष का अनुभव।

वांछनीय: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से प्राणी विज्ञान या वनस्पति विज्ञान या जैव रसायन विज्ञान या कृषि में पीएचडी।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना
(12)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष; 2. संयुक्त सचिव – भंडारण और अनुसंधान प्रशासन के प्रभारी – सदस्य; 3. संयुक्त सचिव – भारतीय खाद्य निगम के प्रभारी – सदस्य। समूह 'क' विभागीय समिति (प्रतिनियुक्ति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. सचिव – (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) – अध्यक्ष; 2. संयुक्त सचिव – भंडारण और अनुसंधान प्रशासन के प्रभारी – सदस्य; 3. संयुक्त सचिव – भारतीय खाद्य निगम के प्रभारी – सदस्य।

भर्ती करने में किन परिस्थितियो में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(13)
संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-12018/05/2024-एसआरए/ई.III (ई:387015)]

प्रदीप कुमार चौधरी, अवर सचिव

New Delhi, the 9th January, 2026

G.S.R. 9.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Food and Public Distribution (Group 'A' and Group 'B', Non-Secretariat Posts) Recruitment Rules, 2014 in so far as it relates to the post of Joint Commissioner (Storage and Research), except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, to regulate the method of recruitment to the post of Joint Commissioner (Storage and Research) in the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Food and Public Distribution, Storage and Research Division, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Food and Public Distribution, Storage and Research Division, Joint Commissioner (Storage and Research) Group 'A' Post, Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix. –** The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. –** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification. –** No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax. –** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving. –** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	**Number of post**	**Classification**	**Level in pay matrix**	**Whether selection post or non-selection post**	**Age-limit for direct recruits**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
Joint Commissioner (Storage and Research).	1* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-13 in the pay matrix (Rs.123100-215900).	Selection post.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees**	**Period of probation, if any**	**Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods**
(7)	**(8)**	**(9)**	**(10)**
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion, failing which by deputation (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption is to be made.
(11)
Promotion: Deputy Commissioner (Storage and Research)/Director, Indian Grain Storage Management and Research Institute in pay level-12 (Rs.78800-209200) with five years regular service in the grade and having successfully completed two to four weeks training on quality aspects of foodgrains during procurement, storage and distribution before promotion at the Central Grain Analysis Laboratory. **Note**: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by

more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Autonomous Bodies or Public Sector Undertakings or Statutory Organisations or recognised Universities:
(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or
(ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in level-12 (Rs.78800-209200) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and
(b) possessing the following educational qualifications and experience;

Essential: (i) Master's degree in Entomology or Plant Pathology or Bio-Chemistry from a recognised University or Institute; or
Master's degree in Agriculture with specialisation in Entomology or Plant Pathology or Bio-Chemistry from a recognised University or Institute; or
Master's degree in Zoology or Botany with specialization in Entomology or Plant Pathology from a recognised University or Institute; and
(ii) Twelve years experience in teaching or research or extension work, including aspects related to storage and preservation of foodgrains in Government Organisations or Public Sector Undertakings or Universities or Institutes.
Desirable: Ph.D. in Zoology or Botany or Bio-Chemistry or Agriculture from a recognised University or Institute.

Note 1.- The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2.- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.
(12)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission – Chairperson; 2. Joint Secretary-In-charge of Storage and Research Administration – Member; 3. Joint Secretary-In-charge of Food Corporation of India – Member. Group 'A' Departmental Committee (for considering deputation) consisting of:- 1. Secretary (Department of Food and Public Distribution) – Chairperson; 2. Joint Secretary-In-charge of Storage and Research Administration – Member; 3. Joint Secretary-In-charge of Food Corporation of India – Member.

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(13)
Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A-12018/05/2024-SRA/E.III (e:387015)]

PRADEEP KUMAR CHOUDHARY, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2026.01.27 16:37:11 +05'30'